राजस्व वाद 99/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/189
बस्तीराम वगैरह बनाम् तुलछाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 99/2021

वादीगण–

1. बस्तीराम पुत्र आसूराम
2. नानूराम पुत्र आसूराम
3. मोतीराम पुत्र आसूराम, जातियान–जाट, निवासीगण–बोडिद खुर्द, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. तुलछाराम पुत्र दियालराम
2. धापूदेवी पत्नी आसुराम
3. बजरंग पुत्र आसूराम, जातियान–जाट, निवासीगण–बोडिद खुर्द, तहसील जायल।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टेयर, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर टांका, खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर बाड़ा, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर , खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण के काका पिता प्रतिवादी संख्या 1 वृद्व व विकलांग व्यक्ति है, जो अविवाहित होने से कोई संतान भी नहीं है, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को ही अपने पुत्र मानते है तथा इनके ही साथ रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में कृषि कार्य करने में असमर्थ है, वादग्रस्त खेताय की खतौनी में कर्ताखान होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम ही दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद के पैरा संख्या 6 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 बस्तीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर मे से 0.8903 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है। वादी संख्या 2 नानूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 24 रकबा 2.

22/06/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1044 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1.2500 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है। वादी संख्या 3 मोतीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1 हैक्टेयर पूर्वी, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.0122 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 बजरंग के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.0121 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर भाग , खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 0.3903 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टैयर रखा गया है। वादी संख्या 1 व 2 के हक बंट कब्जा काश्त में कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 02.08.2021 को जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोपालराम गोदारा ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं का सम्मन स्वंय तामिल होकर प्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह तुलछाराम पुत्र दियालराम, मोतीराम पुत्र तुलछाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम बोंड़िद खुर्द तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 57 प्रदर्श–1, जमाबन्दी ग्राम बोंड़िद खुर्द तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 56 प्रदर्श–2, पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब एवं वादपत्र में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) फलोदी

पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 02.08.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 02.08.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा बोड़िद खुर्द के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार एवं विधिक उतराधिकारी के रूप में संयोजित खातेदार होकर अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा बोड़िद खुर्द के खेत खसरा नंबर 125, 226, 128,24, 229, 163 को यथावत वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य एवं शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 4, 174, 50, 240, 241 की भूमि का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य हिस्से विशेष के रूप में जरिये ईकबाली जबाब एवं सहमति से चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजित नहीं हैं अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 4, 174, 50, 240, 241 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि का बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 23.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 23.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3386 दिनांक 11.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी बस्तीराम , तुलछाराम, नानूराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान किशनसिंह व हड़मानसिंह तथा भू. अभि.निरीक्षक मांगलोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्याय संगत है। अतः मौजा बोड़िद खुर्द तहसील

जायल में खेत खसरा नं. 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टेयर, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर टांका, खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर बाड़ा, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टेयर, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर टांका, खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर बाड़ा, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बस्तीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर मे से 0.8903 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 नानूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 24 रकबा 2.1044 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1.2500 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 मोतीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1 हैक्टेयर पूर्वी, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 बजरंग के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टैयर रखा पूरा व खेत खसरा नंबर 4 में से 0.8903 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. वादी मोतीराम एवं प्रतिवादी बजरंग के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खर्दु का खेत खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर रखा गया है।

6. वादी संख्या 1 व 2 के हक बंट कब्जा काश्त में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

राजस्व वाद 99/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/189
बस्तीराम वगैरह बनाम् तुलछाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 99/2021

वादीगण–

1. बस्तीराम पुत्र आसूराम
2. नानूराम पुत्र आसूराम
3. मोतीराम पुत्र आसूराम, जातियान–जाट, निवासीगण–बोडिद खुर्द, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. तुलछाराम पुत्र दियालराम
2. धापूदेवी पत्नी आसुराम
3. बजरंग पुत्र आसूराम, जातियान–जाट, निवासीगण–बोडिद खुर्द, तहसील जायल।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टेयर, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर टांका, खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर बाड़ा, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बस्तीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 125 रकबा 2.0558 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 128 रकबा 1.4083 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 226 रकबा 0.1214 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 4 रकबा 1.7806 हैक्टेयर मे से 0.8903 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।

22/6/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. वादी संख्या 2 नानूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 24 रकबा 2.1044 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1.2500 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 मोतीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग व खसरा नंबर 174 रकबा 2.2500 हैक्टेयर में से 1 हैक्टेयर पूर्वी, खसरा नंबर 229 रकबा 2.5090 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 बजरंग के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोडिद खुर्द का खेत खसरा नंबर 163 रकबा 3.3913 हैक्टैयर रखा पूरा व खेत खसरा नंबर 4 में से 0.8903 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. वादी मोतीराम एवं प्रतिवादी बजरंग के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद खर्दु का खेत खसरा नंबर 240 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 241 रकबा 0.0647 हैक्टेयर रखा गया है।
6. वादी संख्या 1 व 2 के हक बंट कब्जा काश्त में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल